न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश, क्रम 1, अजमेर (राज.)

पीठासीन अधिकारी – **डा. रेनू श्रीवास्तव, आर.जे.एस**
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

फौजदारी विविध प्रकरण संख्या 246/2026

पुष्पेन्द्र कुमार नवल पुत्र श्री शिवप्रसाद, आयु 41 वर्ष, निवासी गली नम्बर 03, मकान नम्बर– 03, केसरी कॉलोनी, पुलिस थाना आदर्श नगर, अजमेर, हाल बन्दी केन्द्रीय कारागृह, अजमेर।

––प्रार्थी–अभियुक्त

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये अपर लोक अभियोजक, अजमेर **–– अभियोगी**

द्वितीय जमानत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा सहिता प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 156/2025 पुलिस थाना सिविल लाईन, अजमेर, अपराध अंतर्गत धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2), 61 (2) क भारतीय न्याय सहिता 2023

उपस्थित
1– श्री अजय वर्मा, अधिवक्ता, प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से।
2– विद्वान अपर लोक अभियोजक, राज्य की ओर से।

आदेश दिनांक 12–03–2026

1– प्रार्थी–अभियुक्त पुष्पेन्द्र कुमार नवल पुत्र श्री शिवप्रसाद की ओर से यह द्वितीय जमानत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 483 भा.ना.सु.सं. उसके अधिवक्ता ने माननीय जिला एवं सेशन न्यायालय, अजमेर में प्रस्तुत किये, जहां से अन्तरित होकर विधिवत निस्तारण हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ, जिसकी नकल विद्वान अपर लोक अभियोजक को दिलाई गई। बहस उभयपक्ष सुनी गई तथा संबंधित पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।

2– संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध परिवादी हरनामसिंह ने उपस्थित संबंधित थाना होकर दिनांक 15.05.2025 को एक रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उसके दामाद रनित शर्मा की कृषि भूमि खसरा नं 893, राजस्व ग्राम घूघरा, अजमेर में स्थित है, जिसके दो अन्य सह खातेदार श्रीमती कामनी शर्मा व अंकित शर्मा है। उसे रनित शर्मा का मुख्त्यारआम नियुक्त किया गया था। रनित शर्मा की माता का देहान्त हो गया। उक्त कृषि भूमि का कूटरचित मुख्त्यारआम पुष्पेंद्र कुमार नवल द्वारा कूटरचित ढंग से दिनांक 18–02–2025 को किया जाकर उक्त कृषि भूमि का मालिकाना की फर्जी फोटो एवं हस्ताक्षर किये जाकर तैयार किया गया। मुख्त्यारआम पुष्पेंद्र कुमार नवल ने उक्त कृषि भूमि को बेचान के माध्यम से अपने नाम करके नामान्तरण खुलवा लिया है....आदि, जिस पर प्रथम सूचना रिपोर्ट 156/2025 दर्ज होने के पश्चात् अन्वेषण आरम्भ किया गया एवं अन्वेषण से प्रार्थी/अभियुक्त जो कि धारा 138 एन आई एक्ट में छः माह के साधारण

Authenticated Document

कारावास के सजा वारण्ट से जेल में दाखिल करवाया को बजरिये प्रोडक्शन वारण्ट के प्राप्त किया, जिसके विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 318(4), 338, 336(3), 336(4), 340(2), 61(2) भारतीय न्याय सहिता 2023 का आरोप प्रथम दृष्टया बनना पाया गया।

3- अनुसंधान पत्रावली के अवलोकन से प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध हस्तगत प्रकरण के अतरिक्त एक अन्य प्रकरण सं. 386/19 पीएस रामगंज, अंतर्गत धारा 420, 467, 468,471 भा दं सं. का लंबित होना जाहिर किया गया है।

4– बहस के दौरान विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी–अभियुक्त ने अपने तर्को में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुऐ तर्क प्रस्तुत किये है कि प्रार्थी/अभियुक्त को झूंठा फंसाया गया है, उससे किसी प्रकार की कोई बरामदगी व अनुसंधान शेष नहीं है। प्रार्थी/ अभियुक्त के लम्बे समय तक न्यायिक अभिरक्षा में रहने के कारण उसके भविष्य पर विपरित प्रभाव पड़ेगा। प्रार्थी/अभियुक्त परिवार में एकमात्र कमाने वाला व्यक्ति है तथा लम्बे समय तक उसके न्यायिक अभिरक्षा में रहने से उसके बुजुर्ग माता-पिता व छोटे-छोटे बच्चों व पत्नी के भूखे मरने की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती हैं। प्रार्थी आरोपी के विरुद्ध जो धारायें दर्ज की गई हैं, उसमें आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान हैं और ना ही उसमें कोई कोई धारा मृत्यु दण्ड से संबंधित हैं। प्रार्थी/ अभियुक्त के उक्त प्रकरण के निस्तारण में लम्बा समय लगने की सम्भावना है, और वह न्यायालय के आदेशानुसार जमानत मुचलके प्रस्तुत करने को तैयार है, अंत में जमानत आवेदन स्वीकार करने का निवेदन किया गया।

5– विद्वान अपर लोक अभियोजक ने बहस की है कि प्रार्थी/अभियुक्त पर गम्भीर प्रकृति के आरोप है, एवं प्रार्थी/अभियुक्त का प्रथम जमानत आवेदन माननीय न्यायालय द्वारा अस्वीकार कर दिया था, तदुपरांत माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने भी प्रार्थी/अभियुक्त का नियमित जमानत आवेदन पत्र अस्वीकार कर खारिज कर दिया, इसलिये उसके द्वितीय जमानत आवेदन पत्र का विरोध करते हुए, जमानत आवेदन–पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

6– उभयपक्ष को सुनकर पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 318(4), 338, 336(3), 336(4), 340(2), 61(2) भारतीय न्याय सहिता 2023 प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाये जाने पर उसके विरूद्ध आरोप–पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है। संबंधित पत्रावली के अवलोकन से प्रार्थी/अभियुक्त पर मुख्यतः आरोप है कि उसके द्वारा कूटरचित मुख्तयारनामा आम दिनांकित 18.02.2025 तैयार कराकर खसरा नंबर 893 राजस्व ग्राम घूघरा स्थित कृषि भूमि के मालिक के फर्जी हस्ताक्षर किये जाकर तैयार करवाया गया। उक्त मुख्तयारआम प्रथम दृष्टया कूटरचित होना इस प्रकार प्रतीत होता है कि सहखातेदार कामिनी शर्मा का देहांत दिनांक 05.04.2016 को हो चुका था परन्तु मुख्तयारआम दिनांकित 18.02.2025 को तैयार करवाया गया, जिस पर उक्त मृतका कामिनी शर्मा की अंगूठा निशानी एवं फोटो मौजूद है। प्रार्थी/अभियुक्त पर गम्भीर प्रकृति का आरोप है कि उसके द्वारा उक्त मुख्तयारनामे के आधार पर खसरा नंबर 893 राजस्व ग्राम घूघरा की कृषि भूमि को 75,00,000/– रू. में बेईमानीपूर्वक बेचान कर प्रतिफल राशि प्राप्त की गई है। जिस आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र सं. 507/25 दिनांक 04.06.2025 को न्यायालय हाजा द्वारा अस्वीकार कर खारिज कर दिया गया था। तदुपरांत प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से माननीय राजस्थान उच्च

Authenticated Document

न्यायालय में नियमित जमानत हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसे एस.बी. क्रिम. मिस. बेल एप्लीकेशन नं. 8891/2025 के माध्यम से दि. 18.09.2025 को इस आधार पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अस्वीकार कर खारिज किया कि पुलिस द्वारा अनुसंधान में इस तथ्य की पुष्टि हुई है कि प्रार्थी/अभियुक्त ने अंकित, रनित व मृतका के नाम से फर्जी पॉवर ऑफ अटॉर्नी सृजित करते हुए उनकी संपत्ति को अपने हक में रजिस्टर करवा लिया और उसका नामांतरण भी अपने हक में करा लिया, जिन तथ्य परिस्थितियों से मात्र प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध आरोप–पत्र पेश कर दिये जाने से किसी प्रकार कर बदलाव नहीं आया है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध इसी प्रकृति का अन्य मामला 386/19 पीएस रामगंज, अंतर्गत धारा 420, 467, 468,471 भा दं सं. लंबित होना जाहिर किया गया है, जिससे भी उसका इस तरह के आपराधिक अपराध किये जाने का आदतन होना जाहिर होता है।

7- अतः प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों के मध्ये नजर उक्त समग्र विवेचन के आधार पर यह प्रकट होता है कि प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा किया गया अपराध गम्भीर प्रकृति का है, फलतः प्रकरण के गुणावगुण पर अधिक टिप्पणी किये बिना प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित नहीं पाया जाता है।

8– परिणामस्वरूप प्रार्थी/अभियुक्त पुष्पेन्द्र कुमार नवल पुत्र श्री शिवप्रसाद, आयु 41 वर्ष, निवासी गली नम्बर 03, मकान नम्बर– 03, केसरी कॉलोनी, पुलिस थाना आदर्श नगर, अजमेर की ओर से प्रस्तुत जमानत के उक्त द्वितीय जमानत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–483 भा.ना.सु.सं. अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

9– उक्त आदेश की एक प्रति माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सुहास चकमा बनाम यूनियन आफ इण्डिया (रिट याचिका संख्या 1082/2020) में जारी निःशुल्क विधिक सहायता सुविधाओं के बारे में पारित निर्देशों की जानकारी हेतु मुलजिमान को कवर शीट के साथ उपलब्ध कराने हेतु ईमेल अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, अजमेर को प्रेषित की जावें।

(डा. रेनू श्रीवास्तव)
अपर सेशन न्यायाधीश क्रम 1, अजमेर।

10– आदेश आज दिनांक 12 मार्च, 2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डा. रेनू श्रीवास्तव)
अपर सेशन न्यायाधीश क्रम 1, अजमेर।

SHAILENDRA KRISHANA PAREEK
Digitally signed by SHAILENDRA KRISHANA PAREEK
Date: 2026.03.13 14:36:15 +0530

Authenticated Document